

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,

छत्तीसगढ़

तृतीय एवं चतुर्थ तल , इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,छ.ग.

क्रमांक /आई.डी.एस.पी./34/15/05/074/683


नया रायपुर, दिनांक 19/10/2015

आदेश

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एच 1 एन1 (स्वाइन फ्लू) में मरीजों हेतु प्रयोगशाला जांच के लिए डॉ. लाल पैथलैब एवं एस.आर.एल. डायग्नोस्टिक्स लैब के कलेक्शन सेंटर, रायपुर छ.ग. को जांच सेंपल लिये जाने हेतु अधीकृत करते हुए उनके मुख्य लैब में स्वाइन फ्लू के प्रति जांच रु. 3250/- (शब्दों में तीन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है।

स्वाइन फ्लू के प्रयोगशाला जांच के लिए निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आपके जिले में स्वाइन फ्लू जांच हेतु निर्धारित दरों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करावें।



संचालक,
स्वास्थ्य सेवाएं,
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्रमांक / आई.डी.एस.पी./34/15/05/074/684

नया रायपुर, दिनांक 19/10/2015

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
3. राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी (आई.डी.एस.पी.), 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला समस्त, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रबंध संचालक, निजी चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ ।


संचालक,
स्वास्थ्य सेवाएं,
छत्तीसगढ़, नया रायपुर